फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

निहालसिंह बनाम गुठ्ठल वगै0

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र अस्थायी निषे0 मु0नं0–52/2021

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.02.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषे0 हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि विवादित भूमि प्रार्थीगण की पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का विधिक हक एवं अधिकार है यदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण की अपूर्णनीय क्षति होगी एवं राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होने की संभावना होगी जिससे अनाश्यक वाद विवाद होगे इसलिए मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषे0 कन्फर्म की जावे। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के जवाब में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूमि में से अप्रार्थी संख्या 1 से भूमि जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की है। प्रार्थीगण को उक्त विक्रय पत्र की पूर्ण जानकारी थी प्रार्थीगण द्वारा महज विक्रय पत्र के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद को रोकने की नियत से पेश किया गया है जो कि उचित नहीं हैं अप्रार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपने हक में तस्दीक़ करवाया है। इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गयां। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 1 से भूमि क्रय की गई है जो कि नियमानुसार है एवं सभी शुल्को का भुगतान पश्चात ही विक्रय पत्र तस्दीक किया गया है ऐसी स्थिति में रजिस्टर्ड के विक्रय पत्र के अमल दरामद को रोका जाना न्यायोचित नही हैं इसलिए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः जारी अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	